जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार

वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों में अति गरीब विधवा, विकलांग, असाध्य रोग से पिडित परिवारों को गुलाबी रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। नवीनतम शासनादेशानुसार उक्त योजना के अन्तर्गत मुख्यतः परिवार की वरिष्ठतम महिला मुखिया के नाम राशन कार्ड जारी किया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति राशन कार्ड (गेहूं–13.300 किग्रा0, चावल 21.700 किग्रा0) 2–00 रूपये प्रति किलो गेहूं एवं 3–00 रूपये प्रति किलो चावल एवं 01 किलोग्राम चीनी 13–50 पैसे की दर से प्रति कार्ड ,वर्तमान में निर्गत किया जा रहा है। उक्त योजना के राशनकार्ड का मूल्य 05/–रूपये है।

2– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी प्राथमिक परिवार– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों में मासिक आय 15000/– रूपये से कम आय वर्ग के परिवारों को चयनित किया गया है, जिसमें परिवार की वरिष्ठतम महिला मुखिया के नाम से सफेद रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है, उक्त योजना के राशनकार्ड का मूल्य 05/–रूपये है।

उक्त योजना के अन्तर्गत एकल महिला, मुखिया असाध्य रोगों से पीडित एचआईवी, मुखिया के तौर पर विकलांगता, राजस्व अभिलेखों में सिचिंत भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो, रिक्शा चालक, मजदूर, कुली, कुडा बिनने वाले, मोची लोहार आदि आबादी का चयन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सफेद रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रति यूनिट 2/–रूपये प्रति किलो गेहूं प्रति यूनिट 2 किलो एवं 3/–रूपये प्रति किलो चावल प्रति यूनिट 03 किलो अर्थात कुल 05 किलो ग्राम प्रति यूनिट की दर से प्रति माह खाद्यान्न निर्गत किया जा रहा है ।

3— राज्य खाद्य योजना— राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत पॉच लाख रूपये से नीचे वार्षिक आमदनी वाले आय वर्ग के परिवारों का चयन किया जाता है, जिसमें पात्र व्यक्तियों का चयन कर पीले रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रति राशन कार्ड 8.60/—रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 05 किलो गेहूं एवं 15/—रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 2.5 किलोग्राम चावल कुल 7.5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड वितरित कराया जा रहा है। उक्त योजना के राशनकार्ड का मूल्य 10/—रूपये है।

उक्त योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर—2017 से शासनादेशो के अनुपालन में 75/—रूपये नगद लाभ अन्तरण का लाभ उपभोक्ता को दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य खाद्य योजना अन्तर्गत जारी राशन कार्डो पर उपभोक्ता के बैक एकाउन्ट का विवरण ऑन लाईन किया जा रहा है । जनपद में लगभग 51 प्रतिशत राशन कार्ड उपभोक्ताओ के बैंक एकाउन्ट का विवरण ऑन लाईन किया जा चुका है।

उपरोक्त समस्त योजनाओ के राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है। डिजिटाईज्ड हुये राशन कार्डो पर लगभग 98 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य भी किया जा चुका है।

4— कार्यरत उचित दर दुकानें— माह दिसम्बर 2017 के अनुसार जनपद हरिद्वार में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानो की संख्या 558, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत 435 एवं शहरी क्षेत्रान्तर्गत 123 उचित दर की दुकानें कार्यरत है। उचित दर की दुकानों की संख्या प्रत्येक माह घटती—बढती रहती है। उक्त उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड उपभोक्ताओ को गेहूँ/चावल/चीनी का वितरण नियमानुसार कराया जाता है।

5— कार्यरत पेट्रोल पम्प— वर्तमान में जनपद हरिद्वार में 137 पेट्रोल पम्प कार्यरत है। जिनके माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रो में पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति करायी जाती है।

6— कार्यरत गैस एजेन्सियां— वर्तमान में जनपद हरिद्वार में 34 गैस एजेन्सीस कार्यरत है। जिनके माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रो में घरेलू गैस उपभोक्ताओ एंव व्यावसायिक उपभोक्ताओ को एलपीजी नियमानुसार उपलब्ध करायी जाती है।

7— विभाग की ईमेल आईडी— dsohar1989@gmail.com